तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बाबूलाल बनाम मु0 भूरी** **102 / 108**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई, अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजे दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2008 से चल रहा है तथा तथा दिनांक 27.03.2018 से शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी में विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश भी नही किये गये और न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नही है एवं अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय में उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(के0सी0वर्मा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	